न्यायालय–जिलाधिकारी, सहरसा।

आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या – 81/2016

सुलोचना कुमारी बनाम राज्य एवं अन्य

– :: आदेश :: –

29.1.18

प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा के वाद संख्या–596/ 2013–14 में दिनांक–19.06.2014 को पारित आदेश ज्ञापांक–846–1, दिनांक–19.06.2014 द्वारा अपील वाद को खारीज कर दिये जाने के विरुद्ध उप निदेशक, कल्याण विभाग, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में दाखिल किया गया, जो समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3226, दिनांक–11.08.2015 में वर्णित संशोधित निदेश कंडिका–10/10.4 तथा 10/10.7 के आलोक में वाद हस्तानान्तरित होकर प्राप्त हुआ है।

अपीलार्थी का कहना है कि दाखिल वाद अपीलार्थी सुलोचना कुमारी का चयन बतौर सेविका द्वारा आम सभा दिनांक–11.11.2013 को वार्ड सदस्य के अध्यक्षता एवं पोषक क्षेत्र के आम लाभुक के समक्ष पूर्ण पारदर्शिता के अनुरूप निहित प्रावधानों के तहत सदस्य सचिव बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सलखुआ की उपस्थिति में चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से किया गया। आम सभा में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गई। चयनोपरान्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनवर्षा द्वारा अपीलार्थी को चयन पत्र ससमय नहीं दिया गया व टाल–मटोल किया जाने लगा तथा तरह–तरह का बहाना बनाकर अपीलार्थी के विधिवत चयन को बाधित करने का उद्देश्य से चयन पत्र निर्गत नहीं किया गया। तब अपीलार्थी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में वाद संख्या–59/2013–14 दाखिल किया और निवेदन किया कि अपीलार्थी का चयन विधिवत रूप से आम सभा द्वारा किया गया है, किन्तु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनवर्षा द्वारा विपक्षी संख्या–03 रानी कुमारी को गलत चयन करने व लाभ देने के उद्देश्य से अपीलार्थी को चयन–पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है। इसलिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनवर्षा को निर्देश दिया जाय कि यथाशीघ्र अपीलार्थी को चयन–पत्र निर्गत करें। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा वाद की सुनवाई विभिन्न तिथियों में की गई, किन्तु मार्गदर्शिका में वर्णित कंडिका 4.9 का गलत रूप से प्रख्यान करते हुए दर्शाया गया कि विपक्षी की माँ मीरा कुमारी शिक्षिका के पद पर संबंधित प्रखंड में कार्यरत नहीं है। इसलिए अयोग्य नहीं हैं। जबकि प्रावधान है कि संबंधित पंचायत/प्रखण्ड/अंचल/अनुमण्डल/जिला में पदस्थापित सरकारी/अर्द्धसरकारी कर्मचारी के रिश्तेदार माँ, पत्नी, बहु, ननद, भाभी, पुत्री, बहन का चयन सेविका पद हेतु नहीं किया जायेगा। बावजूद उसके अपीलार्थी के विधिवत चयन को रद्द करते हुए विपक्षी रानी कुमारी के चयन को सही बताते हुए वाद को खारीज कर दिया गया, जिससे अपीलार्थी काफी मर्माहत है और नैसर्गिक न्याय चाहती है।

अपीलार्थी का आगे कहना है कि संदर्भित आँगनबाड़ी केन्द्र के सेविका पद हेतु कुल 10 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन दिया गया, जिसके अनुरूप मेधा सूची का प्रकाशन किया गया, जिसके क्रमांक–04 पर अपीलार्थी सुलोचना कुमारी कुल मेधा अंक 62.85 प्रतिशत एवं क्रमांक–05 पर विपक्षी रानी कुमारी कुल मेधा अंक 61.28 प्रतिशत दर्ज हैं। अपीलार्थी का मेधा अंक भी विपक्षी से अधिक हैं। आम सभा में मेधा सूची के अनुरूप सभी अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया गया। मेधा सूची के क्रमांक–01 की रिंकी कुमारी, क्रमांक–02 पर माण्डवी कुमारी एवं क्रमांक–09 पर सोहा खातुन पोषक क्षेत्र से बाहर दूसरी वार्ड की रहने वाली थी, इसलिए चयन से वंचित किया गया। क्रमांक–05 पर रानी कुमारी (विपक्षी) के ससुर के भाई जन प्रतिनिधि हैं तथा उनके विरोध में आरोप आया कि इनकी माँ मीरा कुमारी शिक्षिका हैं, इसलिए इन्हें भी चयन से वंचित किया गया और क्रमांक–06 पर पुष्पा कुमारी आम सभा में अनुपस्थित थी तथा क्रमांक–07 पर अनिता कुमारी एवं क्रमांक–08 पर प्रतिमा कुमारी एवं क्रमांक–10 पर वीणा भारती के पति सरकारी सेवक हैं, इसलिए चयन से वंचित किया गया। इस प्रकार सभी अभ्यर्थी के आवेदन पर चयन मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप विचार किया गया एवं 10 अभ्यर्थियों में से 09 अभ्यर्थियों का चयन की मानक अर्हत्ता को पुरा नहीं करती थी जो चयन हेतु आम सभा द्वारा अयोग्य पायी गयी। मात्र एक मेधा क्रमांक–04 की अभ्यर्थी (अपीलार्थी) जो सभी अर्हत्ताओं को पूरा करती थी, जिसे आम सभा द्वारा चयन की घोषणा की गई, जिसके विरूद्ध किसी प्रकार की आपत्ति आम सभा में नहीं किया गया, जो तथ्य आम सभा पंजी के प्रस्ताव संख्या–08 में वर्णित है, बावजूद निम्न न्यायालय द्वारा रद्द कर विपक्षी के चयन का आदेश दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने की याचना की है।

प्रस्तुत वाद के संदर्भ में प्रतिपक्षी का कहना है कि पंचायत सोहा, वार्ड नं0–06, मुस्लिम टोला–02, आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या–219 में सेविका के चयन हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनवर्षा के कार्यालय द्वारा मेधा सूची का प्रकाशन हुआ था। उसमें मेधा सूची के क्रमांक–07 पर आवेदिका सुलोचना कुमारी जो यादव जाति से है एवं

28.1.18

क्रमांक–05 पर हैं एवं विपक्षी क्रम संख्या–03 रानी कुमारी जो अनुसूचित जाति में महादलित वर्ग से आती है नाम प्रकाशित हुआ था। वर्णित आँगनबाड़ी केन्द्र से संबंध पोषक क्षेत्र में लाभार्थियों की वर्ग बाहुल्यता अनुसूचित जाति के लोगों की है, इसलिए आँगनबाड़ी नियुक्ति मार्गदर्शिका–2011 के संशोधित प्रावधान के कंडिका–4.2 के नियमानुकूल बाहुल्य वर्ग की अर्हत्ता के मद्देनजर सेविका के पद पर आम सभा द्वारा आवेदिका को चयनित किया जाना बिल्कुल ही गलत एवं कानून के प्रावधानों के खिलाफ था। आम सभा में लाभुकों द्वारा इस पर घोर आपत्ति की गई थी, लेकिन चयन समिति ने इस आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए आवेदिका का चयन कर लिया और विपक्षी संख्या–03 रानी कुमारी को चयन से यह कहते हुए वंचित किया गया कि रानी कुमारी जनप्रतिनिधि की बहु है के संदर्भ में अपीलार्थी ने कहा है कि रानी कुमारी के पति प्रकाश रजक के चाचा वार्ड सदस्य हैं और इस कारण से विपक्षी संख्या–03 को चयन से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं था। क्योंकि मार्गदर्शिका 2011 की कंडिका–4/4.8 के मुताबिक जन प्रतिनिधियों की पत्नी/बहु/रिश्तेदार के अर्थ हैं माँ, पत्नी, बहु, ननद, भाभी जबकि महिला जन प्रतिनिधि के मामले में उनके पति के सहोदर भाई की पत्नी, पुत्री और बहु। रानी कुमारी के ससुर के भाई वार्ड सदस्य है न कि ससुर। स्पष्टतया विपक्षी संख्या–03 निर्धारित मापदण्ड के दायरे में नहीं आती हैं। अतएव इस आधार पर विपक्षी को चयन से वंचित किया जाना सरासर गलत था। मैपिंग पंजी के अनुसार बाहुल्य वर्ग की अनिवार्यता के मद्देनजर विपक्षी रानी कुमारी का चयन आम सभा के द्वारा किया जाना चाहिए था न कि आवेदिका सुलोचना कुमारी का जो बाहुल्य वर्ग से आती ही नहीं है और इस वर्ग के लाभुकों की संख्या उस पोषक क्षेत्र में बिल्कुल नगण्य हैं। सुलोचना कुमारी के चयन के विरूद्ध विपक्षी के द्वारा वरीय पदाधिकारियों को शिकायत की गई तब बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनवर्षा द्वारा पत्रांक–583, दिनांक–27.11.2013 के माध्यम से आम सभा की कृत कार्रवाई से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा को अवगत कराया गया एवं उनसे समुचित निर्देश की माँग की गई। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा पत्रांक–2130–1, दिनांक–04.12.2013 को यह निर्देश दिया गया कि वर्णित कारणों से रानी कुमारी चयन हेतु अयोग्य नहीं होगी। रानी कुमारी के ससुर जन प्रतिनिधि नहीं हैं और उनके ससुर के भाई मार्गदर्शिका के अनुसार रिश्तेदारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। जिला पदाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक–1721–1 एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के उक्त निर्देश के आलोक में बाल विकास परियोजना कार्यालय, सहरसा के ज्ञापांक–654, दिनांक–06.12.2013 को इस विपक्षी का चयन आँगनबाड़ी सेविका के पद पर किया गया है एवं तदनुसार चयन पत्र भेजा गया है।

प्रतिपक्षी ने आगे कहा है कि आम सभा मे विपक्षी रानी कुमारी के विरोध में यह आरोप आया है कि इनकी माँ मीरा कुमारी शिक्षिका है, बिल्कुल ही गलत है। इस तरह की कोई आपत्ति आम सभा के समक्ष लाभुकों द्वारा दर्ज नहीं करायी गयी थी। आम सभा में आपत्ति आयी वह सिर्फ विपक्षी के चचिया ससुर के जन प्रतिनिधि होने के संबंध में थी, जिसका विस्तृत एवं तथ्यात्मक टिप्पणी प्रावधानों के मुताबिक किया जा चुका है। अन्त में उन्होंने कहा कि विपक्षी के द्वारा आम सभा में गलत निर्णय को नियमानुसार चुनौती दी गई थी जिसे सही पाकर एवं विभाग के वरीय पदाधिकारियों का दिशा निर्देश प्राप्त कर ही आवेदिका के चयन को रद्द कर विपक्षी रानी कुमारी को विधि सम्मत तरीके से चयनित किया गया है, जिसकी पुष्टि निम्न न्यायालय द्वारा अपने प्रश्नगत आदेश के माध्यम से कर दिया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। निम्न न्यायालय अभिलेख एवं संलग्न कागजातों का भी अवलोकन किया। आँगनबाड़ी केन्द्र का पोषक क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग बाहूल्य है। अपीलार्थी श्रीमति सुलोचना कुमारी, पति–सुरेश कुमार पिछड़ा वर्ग से हैं। प्रतिपक्षी श्रीमती रानी कुमारी, पति–श्री प्रकाश रजक, अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। जो कि वर्ग बाहूल्यता से आती हैं। सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2011 के कंडिका 4.9 के अनुसार संबंधित जिले में पदस्थापित सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवकों की पत्नी/बहू/रिश्तेदारों का चयन सेविका के पद पर नहीं किया जायेगा। (रिश्तेदार से अर्थ है–पत्नी, बहू, बहन, ननद, भोजाई, पुत्री) अतः आँगनबाड़ी सेविका पद पर श्रीमती रानी कुमारी, पति–श्री प्रकाश रजक का किया गया चयन सही प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

अतएव प्रस्तुत अपील वाद खारीज (Dismiss) किया जाता हैं। मूल अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

29.1.18

जिलाधिकारी,
सहरसा।

29.1.18

जिलाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 07-2 /न्याया0, सहरसा, दिनांक 29-01-2018

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
29-01-018